FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2018/00045

5/4/18
2/5/18
24/5/18
8/6/18
21/9/21
20/10/21
22/11/21
7/12/21
5/1/22
21/2/22
21/3/22

02

अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं   मुकाम : झुन्झुनूं

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जुनो आदि. महेश कुमार   बनाम   [illegible]

किस्म मुकदमा:   मुकदमा नं. : 02/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27/02/18 पत्रावली [illegible] खाद्य सुरक्षा आदि. महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत करने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि [illegible] अभियुक्त के खाद्य सुरक्षा आदि. 2006 के तहत तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15/03/18 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं	
	15/3/18 पत्रावली पेश हुई अभियुक्त अनु./ PO [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5/4/18 को पेश हो [signature]	
	5/4/18 पत्रावली पेश हुई अभियुक्त अनु./ अभियुक्त अनु./ पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 2/5/18 को पेश हो [signature]	122 / 5/4/18
2/5/18	पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित। ~~अभियुक्त~~ पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/5/18 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
24/5/18	पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनु.। खाद्य अधिकारी अनु.। अभियुक्त को नोटिस जारी हो। खाद्य अधिकारी के विरुद्ध विभागीय उच्चाधिकारीयो को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते तलबी 8/6/18 को [signature] अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
8/6/18	पत्रावली पेश हुई [illegible] अभियुक्त को नोटिस [illegible] को साक्ष्य हेतु नोटिस जारी कर तलब किया जावे। पत्रावली साक्ष्य खाद्य विभाग दिनांक 25/6/18 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
25/6/18	अभियुक्त अनु. । खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनु.। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/08/18 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.05 17:30:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
21/2/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप। गैर सायल उत्तम सिंह की र.जी. तलबी जारी की गई। पत्रावली वास्ते तलबी 21/3/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
21-03-2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित जबाब पेश किया। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि अनावेदक ने ग्राम धनूरी में मिठाई की किराये शुदा दुकान बना रखी है जहां उसने बेचने के लिए बन्द पैकेट रसगुल्ले (भीखाराम चाँदमल) के डीलर से खरीदे थे लेकिन बिल प्राप्त करना भूल गया। अनावेदक ने स्वयं ने रसगुल्ले तैयार नही किये तथा ना ही किसी प्रकार की मिलावट की है। इसलिए अनावेदक को धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1477/एक्ट/2017/1547/ दिनांक 06.07.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ रसगुल्ले (भीखाराम चाँदमल) मिस ब्रांण्डेड पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक उत्तमसिंह पुत्र रूपसिंह, मै0 जोधपुर मिष्ठान भण्डार, ग्राम पोस्ट धनूरी, जिला झुन्झुनू, निवासी ग्राम अराबा, पोस्ट कल्याणपुर, त0 पचपद्रा, जिला बाड़मेर को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 2,000/– दो हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को जरिये आदेश भिजवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर रजिस्टर हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.05 17:30:37 IST
Reason: SelfAttested